Full Title of the Project: "Diversion of 2.852 hectare Forest Land for Construction of Toll Plaza Between Km. 115.00 to Km. 116.00 at Delhi-Jaipur Section of NH-8, District-Alwar, Rajasthan".

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019

Date of Proposal: 20/07/2019

JUSTIFICATION FOR LOCATING THE PROJECT IN FOREST AREA

"Construction of Toll Plaza Between Km. 115.00 to Km. 116.00 at Delhi-Jaipur Section of NH-8, District-Alwar, Rajasthan". Has been examined for Social, Technical and Economical consideration and possible efforts were made to avoid the forest land by **National Highways Authority of India, Jaipur,** but **Delhi-Jaipur Section of NH-8** side land is declared as protected forest, hence for Construction of Toll Plaza protected forest land can't avoid. It is further stated that the area of forest land involved in the proposed alignment for "**Construction of Toll Plaza** Area is bare minimum.

(G.C. Mathur)
परियोजना निदेशक / Project Director
भाराराप्रा, प.का.इ / NHAI PIU, Jaipur

Place: Jaipur
Date: 09.09.2019

Signature of User Agency
Office Seal

Counter signed by:-
Divisional Forests Officer
Alwar Forest Division
Office Seal___________

190

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर
Project Implementation Unit, Jaipur
डी-148, आर.एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021
D-148, Behind RSEB Sub-Station, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141-2351427
फैक्स / Fax : 91-141-4026465
ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

क्रमांकः 23040/भाराराप्रा/जेपीआर/वन विभाग/एमकेएस/2019/281 दिनांक 29.04.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., जयपुर

विषयः–दिल्ली – जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 118 के मध्य नया टोल प्लाजा के निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान् आपके पत्र दिनांक 11.04.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें इस सम्बन्ध में मुझे निम्नानुसार अवगत् कराना है कि:

1. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र संख्या 677 दिनांक 08.09.2009 (**संलग्नक–1**) के द्वारा जयपुर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से 116 के मध्य नया टोल प्लाजा बनाने हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गई थी, जिन शर्तो की पालना भाराराप्रा द्वारा की जानी थी।

2. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैद्वांतिक स्वीकृति अतिरिक्त सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.2009 (**संलग्नक–2**) के क्रम में जारी की गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य नये टोल प्लाजा के निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि 2.85 हैक्टेयर वन भूमि पूर्व में प्रत्यावर्तित 92 हैक्टेयर वन भूमि में सम्मिलित है एंव उक्त वन भूमि मे से मात्र 240 वर्गमीटर भूमि के उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

3. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्र दिनांक 08.09.2009 के द्वारा जारी सैंद्वातिक स्वीकृति में यह उल्लेखित किया है कि उक्त टोल प्लाजा 2 वर्ष पूर्व अर्थात 2007 से शुल्क संग्रहण का कार्य किया जा रहा है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन सैद्वांतिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व ही हो गया था। अर्थात सैद्वांतिक स्वीकति के पश्चात् वन संरक्षण अधिनियम का कोई भी उल्लंघन भाराराप्रा स्तर से नही किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त इस प्रकरण में अवगत् कराना है कि पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोटपूतली का कार्यालय बिलासपुर में था एंव आपके द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण हेतु जितने भी पत्राचार किये गये सभी कोटपूतली कार्यालय को किये गये परन्तु दिनांक जुलाई 2009 (**संलग्नक–3**) में कोटपूतली इकाई का जयपुर इकाई में विलय कर दिया गया था। इस कारण उक्त पत्र एंव उसके बाद के सभी पत्र परियोजना प्रबंधन इकाई, कोटपूतली में जाते रहे परन्तु इस कार्यालय को प्राप्त नही हुए। प्रथम बार आपके पत्र दिनांक 02.03.2015 (**संलग्नक–4**) के माध्यम से उक्त प्रकरण की जानकारी इस कार्यालय को हुई, जिसके क्रम मे इस कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2015 (संलग्नक–5) के माध्यम से पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ का पत्र दिनांक 08.09.2009 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, जिससे यह कार्यालय सैद्वांतिक स्वीकृति की शर्तो से भिज्ञ होकर उनकी पालना करता।

(G.C. Mathur)
परियोजना निदेशक / Project Director
भाराराप्रा, प.का.इ / NHAI PIU Jaipur

4. परियोजना कार्यान्वयन इकाई के पत्र के क्रम में सूचना प्राप्त नही होने पर इस कार्यालय के प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत् रूप से उप वन संरक्षक, अलवर एंव आपके कार्यालय से सम्पर्क करके इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्राचार की प्रतियॉ प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रकियारत थी परन्तु इसी बीच माह जुलाई 2015 (**संलग्नक–6**) में निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही इस कार्यालय द्वारा पत्र

दिनांक 09.09.2015 (**संलग्नक–7**) के द्वारा पूर्व पत्र इस कार्यालय को नही मिलने के कारण उक्त सैद्वांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो का परिपालन नही होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए आपसे पुनः अनुरोध किया गया था कि उक्त वर्णित सैद्वातिंक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुर्नविचार करते हुए इस कार्यालय को उक्त शर्तो का पालन करने हेतु अनुमति दी जाए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नही हुए है।

उपरोक्त परिस्थितियो को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नानुसार अनुरोध करना है कि:

1. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा जारी की गई सैद्वांतिक सहमति दिनांक 08.09.2009 एंव उसके बाद के पत्र भाराराप्रा के कार्यालय का स्थान परिवर्तन होने के कारण इस कार्यालय को प्राप्त नही हो पाई जिसके कारण सैद्वांतिक सहमति की शर्तो का अनुपालन नही किया जा सका।

2. चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण का कार्य 2007 से ही चल रहा था जैसा कि आपके पत्र दिनांक 08.09.2009 में वर्णित है बाद में वन संरक्षण अधिनियम का इस कार्यालय द्वारा कोई उल्लंघन नही किया गया।

3. पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा वर्ष 1996 में अपने पत्रांक 8–103/95–एफसी दिनांक 21.06.1996 (**संलग्नक–8**) के द्वारा 96 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 के चारलेनीकरण हेतु किया गया था। कि.मी. 115 से कि.मी. 116 के मध्य शुल्क संग्रहण केन्द्र बनाने हेतु आवश्यक भूमि 2.58 हैक्टेयर भी पूर्व में प्रत्यावर्तित भूमि का भाग है, कई स्तरो पर काफी पत्राचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि मात्र 240 वर्गमीटर (जिसमे शुल्क संग्रहण केन्द्र बनना था) का भूमि उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। आपको अवगत् कराना है कि शुल्क संग्रहण केन्द्र को निर्माण भी मार्ग निर्माण का ही भाग होता है, जैसा कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में भी उल्लेखित है (**संलग्नक–9**) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहण (भारत सरकार राजस्व) का कार्य वर्ष 2007 से किया जा रहा था वह यही मानकर किया जा रहा था कि शुल्क संग्रहण का कार्य भी मार्ग निर्माण का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा जानबूझकर किसी भी नियम का उल्लंघन करने का उद्देश्य नही रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो को ध्यान में रखते हुए कृपया दिनांक 15.07.2015 द्वारा किये गये निरस्तीकरण आदेश पर पुर्नविचार करते हुए इस कार्यालय को यथोचित् निर्देश देने की कृपा करे, जिससे इस प्रकरण को अन्तिम रूप दिया जा सके, जिसके लिए मै आपका आभारी रहूगॉ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार (संलग्नक 1 से 9)

परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पकाई जयपुर।

प्रतिलिपिः **मुख्य महाप्रबंधक (तक.)/ क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा, जयपुर** को इस अनुरोध के साथ प्रेंषित है कि कृपया अपने स्तर से प.का.ई द्वारा वर्णित तथ्यो से अवगत कराते हुए पर्यावरण एंव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ को सैद्वांतिक स्वीकृति के निरस्तीकरण पर पुर्नविचार करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफ.सी.ए., जयपुर से अनुरोध करने की कृपा करें।

(G.C. Mathur)
परियोजना निदेशक / Project Director
भाराराप्रा, प.का.ई / NHAI PIU, Jaipur